न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 15/2021
3. उनवान

राधेश्याम पुत्र स्व. हनुमान पुत्र स्व. बालू निवासी कवरसा पटवार हल्का काजीपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट नं. 36 शिव वाटिका मांग्यावास मानसरोवर जयपुर।

–अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर।
2. ईसर पुत्र स्व. बालू निवासी कवरसा पटवार हल्का काजीपुरा हाल हल्का खण्डेल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
3. मोहन पुत्र स्व. बालू निवासी कवरसा पटवार हल्का काजीपुरा हाल हल्का खण्डेल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
4. डालूराम पुत्र स्व. हेमा निवासी कवरसा पटवार हल्का काजीपुरा हाल हल्का खण्डेल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
5. घीसाराम पुत्र स्व. हेमा निवासी कवरसा पटवार हल्का काजीपुरा हाल हल्का खण्डेल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
6. रामावतार पुत्र स्व. हेमा निवासी कवरसा पटवार हल्का काजीपुरा हाल हल्का खण्डेल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
7. गजानंद पुत्र स्व. हेमा निवासी कवरसा पटवार हल्का काजीपुरा हाल हल्का खण्डेल तहसील फुलेरा जिला जयपुर।
8. मुन्नी देवी पुत्री स्व. हेमा पत्नी जगदीश निवासी नांगल पटवार हल्का कोरसीना तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

4. निर्णय दिनांक : 20.01.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद चौधरी अपीलान्ट ओर से।
   ब) सरकार पैरोकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
   स) श्री अब्दुल हफीज कुरैशी रेस्पोडेन्ट सं. 2 लगायत 8 की ओर से।

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में सजरा खानदान प्रदर्शित करते हुये अंकित किया है कि अपीलार्थी के दादा स्व. बालू का स्वर्गवास वर्ष 1975 में हुआ तथा स्व. बालू से पूर्व ही अपीलार्थी का पिता हनुमान का स्वर्गवास वर्ष 1969 में हुआ। उस समय अपीलार्थी नाबालिग मात्र 2 वर्ष का था तथा अपीलार्थी के दादा की मृत्यु के समय मात्र 8 वर्ष का नाबालिग था। अपीलार्थी के दादा बालू पुत्र स्व. भैरु जाति खाती के नाम से उनके कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि ग्राम काजीपुरा तहसील फुलेरा के ख. नं. 815 रकबा 3 बीघा सम्पूर्ण रकबा एवं ख.नं. 813 रकबा 1 बीघा गै. मु. चाह में 1/2 हिस्से के रिकार्डेड काविज खातेदार काश्तकार रहे है तथा उक्त आराजीयात का वर्तमान राजस्व ग्राम कवरसा तहसील फुलेरा जिला जयपुर बना है। अपीलार्थी के दादा की मृत्यु वर्ष 1975 में हुई। उक्त आराजीयात मृतक बालू की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02/09/1977 को पटवारी हल्का काजीपुरा द्वारा हेमा, ईसर, मोहन पुत्र बालू 1/4 राधेश्याम पुत्र हनुमान 1/4 के नाम दर्ज किया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त अंकन

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

की तुलना की गई एवं सही माना। परन्तु दिनांक 27.09.1977 को दौराने अभियान में केवल मृतक के तीनों लडके हेमा, ईसर, मोहन के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया तथा अपीलान्ट जो कि मृतक बालू का चौथे मृतक हनुमान का एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकार का 1/4 हिस्से का सहवन से स्वीकार नहीं किया। उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को न तो कोई विधिवत नोटिस ही दिया एवं न ही मृतक बालू के वारिसान की जांच की। इसलिये उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.09.1977 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। सर्वप्रथम दिनांक 20.10.2021 को जब अपीलार्थी उक्त भूमि की जमाबन्दी की नकल लेने गया तो पटवार हल्का काजीपुरा ने बताया कि तुम्हारे दादा बालू की विरासत केवल उसके तीन पुत्रों हेमा, ईसर व मोहन के नाम से खोला है। तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे नाम नहीं खोला है। इस प्रकार उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल की दिनांक 20.10.2021 से पूर्व अपीलार्थी को कोई जानकारी नहीं रही। अपीलाधीन नामान्तकरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.09.1977 को हेमा, ईसर व मोहन पुत्र बालू 3/4 राधेश्याम पुत्र हनुमान 1/4 भरा गया। उसको बिना किसी कारण से तहसीलदार ने दिनांक 27.09.1977 को अपीलार्थी के नाम से नामान्तकरण स्वीकार न करने का कोई कारण दर्ज नहीं किया तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत केवल तीनों पुत्रों के नाम से स्वीकार करने में अहम कानूनी भूल है। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याया के सहज सिद्वान्तों के विपरीत होने एवं लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधानों एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 39 व 40 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलार्थी मृतक बालू के जायन्दा पुत्र हनुमान का एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा उक्त तथ्य की पुष्टि नामान्तरकरण संख्या 219 से, जो पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.09.1977 को भरा उससे स्पष्ट है, उसके बावजूद भी तहसीलदार ने मृतक बालू के एक जायज वारिस एवं उत्तराधिकारी का नाम नामान्तरकरण में स्वीकार नहीं करने अहम कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय आर्बट्रिटी काउन्टरी टू लॉ एवं न्यायशास्त्र के सहज सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 27.09.1977 ग्राम काजीपुरा तहसील फुलेरा के निर्णय में अपीलार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावें एवं उक्त नामान्तरकरण में अपीलार्थी का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं. 2 का 1/4 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट नं. 3 का 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेन्ट नं. 4 लगायत 8 का 1/4 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

अपीलान्ट ने अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र, अपीलाधीन आदेश की एवं अन्य दस्तावेज की प्रति पेश की है।

अपील प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस तलबी जारी किये गये तथा मूल रिकॉर्ड मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण की ओर से वकालतनामा पेश हुआ तथा जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसमें सजरा खानदान प्रदर्शित करते हुये अंकित किया गया है कि तहसील फुलेरा के ख. नं. 815 रकबा 3 बीघा सम्पूर्ण व ख.नं. 813 रकबा 1 बिस्वा गै.मु. चाह में 1/2 हिस्सा प्रत्यर्थीगण के पिता बालू पुत्र भूरा की कब्जेकाश्त व खातेदारी की भूमि है। बालू का स्वर्गवास 1975 में हुआ तथा बडे भाई हनुमान का देहान्त 1969 में हुआ। विवादित नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 27.09.1977 को प्रत्यर्थीगण के पिता की विरासत का नामान्तरकरण तीन भाई हेमा, ईसर व मोहन पुत्रान स्व. बालू हिस्सा 3/4 व राधेश्याम पुत्र स्व. हनुमान हिस्सा 1/4 पटवारी ने सही भरा तथा गिरादावर द्वारा भी सही जांच किया गया। परन्तु तहसीलदार फुलेरा के आदेश में राधेश्याम पुत्र हनुमान का 1/4 हिस्सा सहवन से दर्ज करने से रह गया जबकि राधेश्याम उक्त आराजीयात में हमारे सगे भाई का इकलौता पुत्र होने से एक मात्र वारिस व उत्तराधिकारी है। उक्त नामान्तरकरण संख्या 219 की अपील स्वीकार करने में मिन रेस्पोडेन्ट को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। उक्त नामान्तरकरण में प्रत्यर्थीगण के पिता की विरासत में अपीलांट राधेश्याम पुत्र हनुमान का 1/4 हिस्सा दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स द्वारा सजरा खानदान प्रदर्शित करते हुये लिखित बहस में अंकित किया है कि विवादित भूमि ग्राम काजीपुरा तहसील फुलेरा ख.नं. 815 रकबा 3 बीघा सम्पूर्ण व ख. नं. 813 रकबा 1 बिस्वा गै.मु. चाह में 1/2 हिस्से के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार रहे हैं। अपीलार्थी के दादा की मृत्यु 1975 में हुई तथा अपीलार्थी के पिता हनुमान की मृत्यु उनके दादा की मृत्यु से पहले 1969 में हुई। अपीलार्थी के दादा की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 219 दिनांक 02.09.1977 को प.ह. काजीपुरा द्वारा उनके पुत्र हेमा, ईसर व मोहन पुत्रान स्व. बालू हि. 3/4, अपीलार्थी राधेश्याम पुत्र स्व. हनुमान हि. 1/4 के नाम से दर्ज किया। परन्तु दिनांक 27.09.1977 को दौराने अभियान मृतक बालू के तीन पुत्रों के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकार किया तथा अपीलांट, जो कि मृतक बालू के चौथे पुत्र स्व. हनुमान का एकमात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी का 1/4 हिस्सा दर्जशुदा करने में सहवन से रह गया, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate JAIPUR

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर